संख्या-05/2025/181/एक-1-2025-1-1/31/2024

प्रेषक,

राम रतन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 28 अप्रैल, 2025

विषयः ॐ श्री साई शिक्षा समिति, अलीगढ़ के द्वारा जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल, खैर एवं गभाना में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु बिना पूर्वानुमति के क्रय की गयी विहित सीमा से अधिक भूमि के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1768(1)/डी0एल0आर0सी0, दिनांक-30.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ॐ श्री साई शिक्षा समिति, अलीगढ़ के द्वारा जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल, खैर एवं गभाना में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु बिना पूर्वानुमति के क्रय की गयी विहित सीमा से अधिक भूमि के विनियमितीकरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा-3 में वर्णित व्यवस्था तथा शासनादेश संख्या-928/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक 26.10.2021 एवं तत्सम्बन्धी संशोधित शासनादेश संख्या-09/2022/1025(1)/एक-1-2022-रा0-1, दिनांक-23.12.2022 के आलोक में श्री राज्यपाल निजी क्षेत्र के अन्तर्गत निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उ0प्र0 सरकार के साथ अनुबन्धित एम0ओ0यू0 दिनांकित 24.01.2023 के दृष्टिगत ॐ श्री साई शिक्षा समिति, अलीगढ़ द्वारा जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल, खैर तथा गभाना में धारित कुल 17.6229है0 भूमि के सापेक्ष विहित सीमा से अधिक 10.4556 है0 क्रय की गयी भूमि के सशुल्क विनियमितीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) संस्था द्वारा आवेदन करते समय निर्धारित जिलाधिकारी सर्किल दर के अनुसार आगणित कुल मूल्य के 10 प्रतिशत शुल्क रूपया 11968770/-Rs. (एक करोड़ उन्नीस लाख अरसठ हजार सात सौ सत्तर रूपये मात्) निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमि का उपयोग निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(3) यदि संस्था उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-89 की उपधारा-(3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने में विफल रहती है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित/क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा-105 के परिणाम लागू होंगे। परन्तु यह कि राज्य सरकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

द्वारा प्रदान की गयी अनुज्ञा की अवधि को तदनिमित्त कारण अभिलिखित करने के पश्चात अग्रेतर तीन वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

(4) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य यदि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन की भूमि आती है तो उक्त भूमि का विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर अलग से सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) जिलाधिकारी द्वारा विनियमितीकरण से पूर्व संस्था के सम्बन्धित गाटों के विक्रय-पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत गाटे संस्था द्वारा क्रय/अर्जित किये गये हैं तथा कोई भी भूमि असंक्रमणीय भूमिधर, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के भूमिधर से क्रय नहीं की गयी है।

(6) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा व किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तांतरण/ विक्रय नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
राम रतन
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ ।
4. श्री राकेश गुप्ता साईं, ॐ श्री साई शिक्षा समिति, फल मण्डी के सामने,जी0टी0 रोड, अलीगढ़, पिन कोड-202001
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आर0 पी0 सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।